प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 16 अगस्त, 2016

विषयः एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मियों का वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 1/2016/जी-2-89/दस-2016-1/2016, दिनांक 31 मई, 2016 द्वारा वेतन निर्धारण/वेतन संरक्षण से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसमें वेतन निर्धारण की प्रक्रिया/शर्तो एवं प्रतिबन्धों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3(ज) के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि संबंधित सरकारी सेवक यदि पूर्व पद के संदर्भ में समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अंतर्गत वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान अथवा सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) के लाभ के फलस्वरूप वेतन प्राप्त कर रहा था तो उक्त के संदर्भ में उसका वेतन निर्धारित नहीं किया जायेगा और इसके लिए पृथक से निर्देश निर्गत किए जायेगें ।

2- उक्त के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जहॉ एक राजकीय सेवा से दूसरी राजकीय सेवा में नियुक्त होने वाला संबंधित सरकारी सेवक यदि पूर्व पद के संदर्भ में समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अंतर्गत वैयक्तिक प्रोन्नत वेतनमान अथवा सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्नयन (ए0सी0पी0) के लाभ के फलस्वरूप वेतन प्राप्त कर रहा था तो नये पद पर नियुक्त होने पर उसका वेतन निम्न प्रक्रियानुसार निर्धारित किया जायेगा :-

(क)- संबंधित सरकारी सेवक की यदि पूर्व विभाग में समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अंतर्गत वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान के समतुल्य ग्रेड वेतन अथवा ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अंतर्गत उच्च वैयक्तिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने के उपरान्त उसे अनुमन्य हुए वैयक्तिक ग्रेड वेतन से उच्च ग्रेड वेतन के नये पद पर नियुक्ति होती है तो उसका वेतन उसे पूर्व पद पर वैयक्तिक ग्रेड वेतन में प्राप्त हो रहे बैण्ड वेतन को अपरिवर्तित रखते हुए नये पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए निर्धारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किया जायेगा, परन्तु जहॉ उसे पूर्व पद पर वैयक्तिक रूप से प्राप्त हो रहे वेतन बैण्ड का बैण्ड वेतन, नये पद के वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम होगा वहॉ नये पद के वेतन बैण्ड का न्यूनतम बैण्ड वेतन एवं नये पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य कराते हुए वेतन निर्धारित किया जायेगा।

<u>उदाहरण-</u> यदि संबंधित कार्मिक वेतनमान रू0 4500-7000/समतुल्य वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/- के पद पर कार्यरत रहते हुए वैयक्तिक पदोन्नति वेतनमान/ए0सी0पी0 के रूप में वेतनमान रू0 5000-8000/समतुल्य वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- में बैण्ड वेतन रू0 15440/- प्राप्त कर रहा था और उसकी नियुक्ति ग्रेड वेतन रू0 4600/- के पद पर होती है तो उसका वेतन रू0 15440/- एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- देते हुए निर्धारित होगा। परन्तु यदि उसकी नियुक्ति वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/- के पद पर होती है तो उसे बैण्ड वेतन रू0 15600/- एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/- अनुमन्य कराते हुए वेतन निर्धारित किया जायेगा।

(ख)- संबंधित सरकारी सेवक की यदि पूर्व विभाग में समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अंतर्गत वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान के समतुल्य ग्रेड वेतन अथवा ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अंतर्गत उच्च वैयक्तिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने के उपरान्त उसे अनुमन्य हुए वैयक्तिक ग्रेड वेतन के समान ग्रेड वेतन के नये पद पर नियुक्ति होती है, तो उसको नये पद पर वेतन बैण्ड में वही वेतन अनुमन्य करा दिया जाय,जो उसे अपने पूर्व पद पर वैयक्तिक वेतन के रूप में प्राप्त हो रहा था।

<u>उदाहरण-</u> यदि संबंधित कार्मिक वेतनमान रू0 4500-7000/समतुल्य वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/- के पद पर कार्यरत रहते हुए वैयक्तिक पदोन्नति वेतनमान/ए0सी0पी0 के रूप में वेतनमान रू0 5000-8000/समतुल्य वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- में बैण्ड वेतन रू0 15440/- प्राप्त कर रहा था और उसकी नियुक्ति वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- में ही होती है तो उसे बैण्ड वेतन रू0 15440/- एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- ही देय होगा।

(ग)- संबंधित सरकारी सेवक की यदि पूर्व विभाग में समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अंतर्गत वैयक्तिक प्रोन्नति वेतनमान के समतुल्य ग्रेड वेतन अथवा ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अंतर्गत उच्च वैयक्तिक ग्रेड वेतन प्राप्त करने के उपरान्त उसे अनुमन्य हुए वैयक्तिक ग्रेड वेतन से निम्न ग्रेड वेतन के नये पद पर नियुक्ति होती है तो निम्न वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतनवाले नये पद पर नियुक्ति होने पर उसके पूर्व पद पर वेतन बैण्ड में प्राप्त बैण्ड वेतन को अपरिवर्तित रखते हुए उसे नये पद का ग्रेड वेतन अनुमन्य करा दिया जाय।

<u>उदाहरण-</u> यदि संबंधित कार्मिक वेतनमान रू0 4500-7000/समतुल्य वेतन बैण्ड-1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800/- के पद पर कार्यरत रहते हुए वैयक्तिक रूप से पदोन्नति वेतनमान/ए0सी0पी0 के रूप में वेतनमान रू0 5000-8000/समतुल्य वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- में बैण्ड वेतन रू0 15440/- प्राप्त कर रहा था और उसकी नियुक्ति वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/- के पद पर होती है तो उसे बैण्ड वेतन रू0 15440/- एवं ग्रेड वेतन रू0 2400/- अनुमन्य कराते हुए वेतन निर्धारित किया जायेगा।

उपरोक्त तीनों ही स्थितियों में उक्तानुसार वेतन निर्धारण वेतन संरक्षण संबंधी शासनादेश संख्या-1/2016/जी-2-89/दस-2016-1/2016, दिनांक 31-5-2016 में निर्धारित अन्य शर्तो के पूरा होने की स्थिति में ही अनुमन्य होगा।

भवदीय,

राहुल भटनागर

प्रमुख सचिव

संख्या-5/2016/जी-2-91(1)/दस-2016-1/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5 स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।